पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राजेन्द्र प्रसाद

बनाम

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं अन्य

2019 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 992

(सिविल रिट संख्या 13312/2014 से संबंधित)

20 नवंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी.डी. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या विभागीय जांच में भाग न लेने वाला कर्मचारी बाद में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा कर सकता है?
- क्या अनुपस्थिति में की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई विधिसम्मत मानी जा सकती है?

हेडनोट्स

यदि किसी कर्मचारी ने विभागीय जांच प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो वह बाद में यह कहकर नहीं पलट सकता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। — वादकारी के आचरण को देखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत स्वतः लागू नहीं हो जाते। — यदि किसी पक्षकार को विधिवत सूचना दिए जाने के पश्चात भी वह उपस्थित नहीं होता है, तो वह बाद में यह कहने का अधिकार नहीं रखता कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। (अनुच्छेद 3)

याचिका स्वीकार की जाती है। (अनुच्छेद 4)

न्याय दृष्टान्त

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एचपीटीसी बनाम के.सी. राहि, (2008) 11 एससीसी 502

बैंक ऑफ इंडिया बनाम अपूर्व कुमार साहा, (1994) 2 एससीसी 615

एन.के. प्रसाद बनाम भारत सरकार, (2004) 6 एससीसी 299

अधिनियमों की सूची

कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं उद्धृत

मुख्य शब्दों की सूची

अनुशासनात्मक कार्यवाही; प्राकृतिक न्याय; विभागीय जांच; अनुपस्थिति; सेवा समाप्ति; समांतर कार्यवाही; धोखाधड़ी एवं गबन; जांच अधिकारी; सेवा विधि; एलपीए खारिज

प्रकरण से उत्पन्न

सिविल रिट संख्या 13312 / 2014

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री रोहित कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता बैंक की ओर से: श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता; श्री अमितेश झा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या-992/2019

में

2014 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या-13312

==========

राजेंद्र प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय धनुषधारी महतो, निवासी, गाँव-सिरसिया, पी. एस.-ताजपुर बंगरा, जिला-समस्तीपुर ।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001।
2. महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मधुबनी।
4. शाखा प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, हिरनी शाखा, दरभंगा, बिहार।

..... प्रतिवादीगण

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी हेतु : श्री रोहित कुमार, अधिवक्ता,

बैंक हेतु : श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता,

श्री अमितेश झा, अधिवक्ता।

==========

समक्ष न्यायालय : माननीय न्यायमुर्ति पी. बी. बजंत्री

और

माननीय न्यायमुर्ति श्री एस. बी. पी. डी. सिंह

मौखिक निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमुर्ति पी. बी. बजंत्री)

तिथि : 20-11-2024

अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या-13312 / 2014 में दिनांक 16.07.2019 को पारित आदेश पर प्रहार किया है।

2. अपीलार्थी पर अधिकारी वर्ग-। के रूप में काम करते हुए सैटेलाइट शाखा में धोखाधड़ी और गबन करने का आरोप है। परिणामस्वरूप, उन्हें अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाही जैसी समानांतर कार्यवाही के अधीन किया गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, अपीलार्थी प्रत्येक तिथि में भाग लेने में विफल रहा। शायद ही वह दो तिथियों, अर्थात् 15.09.2012 और 27.12.2012 को उपस्थित हुए थे। ऐसा लगता है कि वह गिरफ्तारी से बच रहा था। उस संबंध में, वह पूछताछ अधिकारी के सामने पेश होने में विफल रहा है। अपीलार्थी के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निदेशक मंडल, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम और अन्य बनाम के. सी. राही ने (2008) 11 एस. सी. सी. 502 के साथ पढ़ा गया है, अर्थात् निर्णय में बताया गया कि अपीलार्थी अनुशासनात्मक कार्यवाही में भाग लेने के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा।

3. यदि कोई कर्मचारी विभागीय जांच कार्यवाही में भाग लेने के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहता है, तो वह यह नहीं कह सकता कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बैंक ऑफ इंडिया बनाम अपूर्बा कुमार साहा के मामले में (1994) 2 के मामलों 615** में रिपोर्ट दी और अभिनिर्धारित किया कि वादी के आचरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कार्य में नहीं आएंगे। एक और निर्णय में अर्थात **एन. के. प्रसाद बनाम भारत सरकार और अन्य, (2004) 6 उच्चतम न्यायालय 299** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि - पक्षकार को उचित सूचना देने के पश्चात उपस्थित नही होते ,तब बाद की कर्यवाहियो में अपीलार्थी यह नही कह सकते कि सुनवाई का मौका नही दिया गया। इसलिए अपीलार्थी द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश

द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या-13312 / 2014 में दिनांक 16.07.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध कोई वाद नही बनता है।

4. तदनुसार, वर्तमान पत्र पेटेंट अपील खारिज किया जाता है।

5. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

(न्यायमुर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

(न्यायमुर्ति श्री एस. बी. पी.डी. सिंह)

पी.एस./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।